20रु. COURT INDIA भारत बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 CANCELLED

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०) कैम्प भोपाल

R-3759-I16

हरछठ पिता रामेश्वर प्रसाद

निवासी ग्राम सुगरहा तहसील शाहनगर

जिला पन्ना म०प्र० --- आवेदक

Adv. Rajni Varma Shah

वनाम

1- रामेश्वर पिता भैकू काछी

2- वाबूलाल पिता रामेश्वर काछी

3- श्रीमति बाई पिता रामेश्वर काछी

सभी निवासी सुगराहा तहसील शाहनगर

जिला पन्ना म०प्र० --- अनावेदकगण

Adv. R.D. Sharma

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर जिला पन्ना म०प्र० के राजस्व प्रकरण क्रमांक 09/अपील/ 2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24-09-2016 से परिवेदित होकर नीचे लिखे तथ्यों एवं आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि मौजा सुगराहा तहसील शाहनगर जिला पन्ना स्थित भूमि खसरा नंबर 775, 3314 रकवा क्रमशः 0-21, 1-10 कुल रकवा 1-31 हेक्टेयर भूमि शासकीय राजस्व अभिलेख में अनावेदक क्रमांक -1 के नाम पर स्वतंत्ररूप से दर्ज थी, आवेदक, अनावेदक क्रमांक -1 का पुत्र है । आवेदक ने उक्त भूमि के वटवारे हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2003 में किये गये आपसी वटवारे के अनुसार प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर श्रीमान तहसीलदार शाहनगर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर विधिवत इश्तहार का प्रकाशन

B.O.R.

19 OCT 2016

श्री के०पी०एस० निगम 230 सागर

96
22.10.16

100

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3759-एक/2016 जिला पन्ना हरछठ विरूद्ध रामेश्वर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं एवं अनावेदक रामेश्वर स्वयं उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी शाहनगर के प्रकरण क्रमांक 09/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 24-09-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 19-10-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 1.1.19
सदस्य